416

संख्या– 1097 /XVI(1)/14/5(11)2014

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 29 मई, 2014

विषयः– **अदरख बीज की दर अनुमोदित करने एवं क्रय करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 85/एचडीएस–अदरख/2014–15,दिनांक 22 मई 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अदरख बीज प्रजाति रियोडिजेनेरो की दरों के अनुमोदन एवं अदरख की 4000 कुन्तल मात्रा के सापेक्ष अनुमानित व्यय रू0 5.38करोड (पांच करोड अडतिस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि निदेशालय द्वारा उक्तविषयक की गयी संस्तुति के क्रम में अदरख बीज प्रजाति रियोडिजेनेरो की न्यूनतम के आधार पर चयनित दर रू0 13450.00 (रू0 तेरह हजार चार सौ पचास मात्र) प्रति कुन्तल मै0 नैशनल को–ऑपरेटिव कंनज्यूमर फैडरेशन ऑफ इण्डिया लि0 देहरादून उत्तराखण्ड, से क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1– उक्त दरें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 30 जून 2014 तक प्रभावी होगी एवं अधिशेष वित्तीय वर्ष हेतु उक्त सामग्री की नियमानुसार अधिप्राप्ति औद्यानिक कलैण्डर के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2– मात्रा के सम्बन्ध में निदेशक उद्यान जनपद अधिकारियों से उक्त सामग्री की शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 30 जून 2014 के मध्य पडने वाली अवधि हेतु मांग प्राप्त करेगें एवं उसी मांग के अन्तर्गत अदरख बीज क्रय हेतु अनुमोदित संस्था को क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा और इसी सीमा के अन्तर्गत व्यय एवं मात्रा हेतु यह स्वीकृति मानी जायेगी। यदि बीज की मांग 30 जून से पूर्व समाप्त हो जाती है तो अधिप्राप्ति की अवधि मांग दिनांक तक प्रभावी होगी परन्तु किसी भी दशा में 30 जून के उपरांत उक्त सामग्री की अधिप्राप्ति प्राप्त नहीं की जायेगी।

क्रमशः––2

3– उक्त सामग्री की गुणवत्ता का समस्त दायित्व निदेशक उद्यान का होगा। 30 जून 2014 के पश्चात् उक्त अधिप्राप्ति की आपूर्ति की कार्यवाही के उपरान्त निदेशक, उद्यान जनपदवार क्रय किये गये अदरख बीज एवं आवटन का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

4– उक्त सामग्री की अधिप्राप्ति योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित बजट सीमा में ही किया जायेगा। बजट सीमा से अधिक क्रय किसी भी दशा में न किया जाय। अधिप्राप्ति हेतु व्यय के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2006, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत उक्तविषयक नियमों/विनियमों/ प्रावधानों के अनुपालन के साथ उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1037 /XVI(1)/14/5(11)/2014,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0उद्यान मंत्री को मा0उद्यान मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

A.Singh/Letter /Charu